अति तत्काल

आर टी आई मामला

सं. ए-42012/64/2014-प्रशा.।।
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
**

नई दिल्ली, दिनांक:15th जुलाई , 2014

सेवा में

डॉ. नूतन ठाकुर
निवासी 5/426, विराम खंड,
गोमती नगर,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत डॉ. नूतन ठाकुर, निवासी गोमती नगर, लखनऊ द्वारा मांगी गई सूचना के संबंध में।

महोदय/महोदया

मुझे आपके दिनांक 15.05.2014 के आवेदन जो आर टी आई अनुभाग के माध्यम से उनके दिनांक 02/07/2014 के का.ज्ञा.सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई के तहत दिनांक 07.07.2014 को इस प्रभाग में प्राप्त हुआ, का उल्लेख करने तथा यह कहने का निदेश हुआ है कि जहां तक प्रशा.।। अनुभाग का प्रश्न है, मांगी गई उक्त सूचना को आप 'शून्य' माने क्योंकि प्रशा.।। अनुभाग द्वारा अभी तक कोई भी **जाँच** आयोग गठित नहीं किया गया है।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस मामले के संबंध में अपील प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशा.एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी), गृह मंत्रालय, कमरा सं.194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001, (दूरभाष सं.-23093178) हैं तथा यदि कोई अपील हो तो इस उत्तर के जारी होने के 30 दिन के भीतर की जा सकती है।

भवदीय,

वी.के. राजन

(वी. के. राजन)
उप सचिव (स्था.) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष सं.: 23094376

प्रतिलिपि प्रेषित:-

(i) आर टी आई अनुभाग – उनके उपर्युक्त का.ज्ञा.सं. के संदर्भ में।
(ii) अनुभाग अधिकारी (आई टी) – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए आर टी आई आवेदन की एक प्रति के साथ।

43/RTI/Ad.II/2014
7/7/2014

(64)

To be replied in Hindi

MHA/Ad.II
D. No. 304003
Date 7/7/2014

RTI MATTER/TIME BOUND

No. A- 43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

1/8

New Delhi, Dated the 27th June, 2014.

07 JUL 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Application filed by Dr. Nutan Thakur under the Right to Information Act, 2005.

****

The undersigned is directed to refer to the application dated 15/05/2014 under the RTI Act, 2005 filed by Dr. Nutan Thakur which was received in this Ministry on 19/05/2014. Therein the applicant had sought information about "All Commissions formed by the Government of India under the Commission of Inquiry Act, 1952 since 15/08/1947 and related aspects."

2. The information requested by Shri Thakur was presumed to be available with the Judicial Division and the application was accordingly forwarded to that Division. However, the Judicial Division has returned the application to the Nodal RTI Section with the remarks that the information sought was not related to their Division.

3. Since the information about "Commissions formed by the Ministry of Home Affairs under the Commission of Inquiry Act, 1952" is not available with any particular Department/Division of this Ministry, the application is being forwarded to all designated CPIOs of this Ministry for furnishing available information directly to the applicant.

Encl: As above

(S. Samanta)
Under Secretary to the Govt. of India.

To

All CPIOs in the Ministry of Home Affairs (P) as per list attached.

Copy for information to:

Dr. Nutan Thakur,
5/426, Viram Khand
Gomti Nagar
Lucknow
UTTAR PRADESH.

23/6/14

फा0सं0 16/3/2014-न्यायिक एकक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(न्यायिक एकक)

****

2

'सी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-II, जयसिंह रोड

नई दिल्ली- 110 001

जून 17, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

मैं, आर टी आई अनुभाग के का०ज्ञा० सं० ए-43020/01/2014- आरटीआई दिनांक 09.06.2014 जिसके द्वारा डॉ नूतन ठाकुर, लखनऊ की सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 15.05.2014 की दो प्रतियाँ जो कि इस मंत्रालय एवं मंत्रिमंडल सचिवालय को संबोधित हैं, का संदर्भ ग्रहण करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि आवेदक ने अपने आवेदन पत्र में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के अंतर्गत 15.08.1947 से 15.05.2014 तक गठित समस्त आयोगों के संबंध में जानकारी मांगी है। आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना इस प्रभाग से संबंधित नहीं है। इस प्रभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस प्रभाग द्वारा ऐसे किसी आयोग का गठन नहीं किया गया है।

2. यह सूचना इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों से संबंधित प्रतीत होती है। यह प्रभाग संबंधित प्रभागों से अवगत नहीं है, चूँकी आरटीआई अनुभाग इस मंत्रालय को नोडल अनुभाग है जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों को समन्वय करता है। यह आवेदन पत्र उस अनुभाग को इस अनुरोध के साथ स्थानांतरित किया जा रहा है कि आवेदन पत्र संबंधित प्रभागों को स्थानांतरित कर दिया।

16/6/14

(जय प्रकाश अग्रवाल)

सं० स० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

☏2343 8113

सेवा में, गृह मंत्रालय
अवर सचिव (आर० टी० आई०)
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

संलग्नक – यथोपरि

प्रति सूचनार्थ प्रेषित-

(१) डॉ नूतन ठाकुर, 5/426, विराम खंड, गोमती नगर, लखनऊ (उतर प्रदेश)

16/6/14

जय प्रकाश अग्रवाल)

सं० स० (न्या०) एवं के०लो०सू०अ०

All CPIO

SO(RTI)

12/6

43421/RTI/MHA/R-14

PLEASE ISSUE
RAI SECTION

3

सं. ए-43020/01/2014-आर टी. आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 09/06/2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. नूतन ठाकुर का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में ~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. नूतन ठाकुर के दिनांक 15/05/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ~~से अंतरण द्वारा~~ दिनांक 19/05/2014 को प्राप्त) को न्यायिक प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 20/05/2014 को रसीद सं. 29774 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ ~~नहीं किया है क्योंकि वह बी.पी.एल. श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।~~

संलग्नक : यथोपरि

O/C

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

उप सचिव (न्यायिक)

गृह मंत्रालय

एनडीसीसी-II, जयसिंह रोड, नई दिल्ली

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

~~श्री/श्रीमती/सुश्री~~ डॉ. नूतन ठाकुर

5/426, विरामखंड

गोमतीनगर, लखनऊ (उ.प्र.)

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए उपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

उप(?)/RTI/MHA/2014
2/6/14

4

1 9 MAY 2014
645/14

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी,
गृह मंत्रालय,
भारत सरकार,
नयी दिल्ली

विषय- जनसूचना अधिकार के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिनांक 15/08/1947 से अब तक कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 में गठित आयोगों के सम्बन्ध में सूचना

महोदय,

कृपया निवेदन है कि दिनांक 15/08/1947 से अब तक भारत सरकार द्वारा कमीशन ऑफ़ इन्क्वायरी एक्ट 1952 की धारा तीन अथवा अन्य प्रावधानों में गठित समस्त आयोगों के सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निम्न सूचना प्रदान करने की कृपा करें-

1. उपरोक्त अवधि (दिनांक 15/08/1947 से अब तक) में धारा तीन में अलग-अलग कौन-कौन से आयोग गठित किये गए? इन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सूची भी प्रदान करने की कृपा करें
2. इनमे से सभी आयोग कब-कब (अर्थात किस तिथि) को गठित किये गए?
3. इनमे से किस-किस जांच आयोग का कार्यकाल कब-कब और कितनी बार कितनी-कितनी अवधि के लिए बढ़ाया गया?
4. इनमे से किस-किस जांच आयोग ने आज दिनांक 15/05/2014 तक अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है?
5. जिन-जिन जांच आयोग ने अपनी अंतरिम तथा/अथवा अंतिम जांच रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, उस जांच रिपोर्ट की छायाप्रति प्रदान करने की कृपा करें
6. अभी तक किस-किस जांच आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट भारत सरकार को नहीं सौंपी है?
7. आज दिनांक 15/05/2014 को इनमे से कितने जांच आयोग अभी भी कार्यरत हैं?

इस सम्बन्ध में दस रुपये का भारतीय पोस्टल ऑर्डर संख्या 27F 904907 प्रेषित कर रही हूँ. अतः अनुरोध है कि कृपया वांछित सूचना तत्काल प्रेषित करने की कृपा करें.

पत्र संख्या- NT/Comm/GOI/02
दिनांक-15/05/2014

भवदीय,
Nutan

(डॉ नूतन ठाकुर)
5/426, विराम खंड,
गोमती नगर, लखनऊ
94155-34525

JS (Judicial)